उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0- 405-विनियम-23/राविप-98-5विनियम/88 दिनांक : 9-10-1998

विज्ञप्ति

विविध

इलेक्ट्रिसिटी ॥सप्लाई॥ एक्ट, 1948, की धारा 79 ॥सी॥ के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की सेवाओं में चयन वर्ष निर्धारण हेतु निम्न विनियम बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की सेवाओं में चयन वर्ष निर्धारण विनियम - 1998

1- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

॥1॥ ये विनियम "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद चयन वर्ष निर्धारण विनियम-1998" कहलायेंगे ।

॥2॥ये तत्काल प्रभावी होंगे ।

2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की सभी सेवाओं और पदों में चयन वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होगा ।

3- अध्यारोही प्रभाव

ये विनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी प्रभावी होंगे ।

परिषद की आज्ञा से,

॥ परशु राम सिंह ॥
सचिव

संख्या- 405॥1॥विनियम-23/राविप-98 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मुख्य अभियन्ता ॥स्तर-1 व 2॥ उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
2- समस्त नियंत्रक, लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3- निदेशक, आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।

---2/-

4- सभापति, जाँच समिति, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
5- सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
6- मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
8- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
9- समस्त अधिकारी परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
10- समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
11- बैठक सहायक को परिषदीय बैठक दिनांक 13.1.1998 के मद संख्या-एक॥7॥1998 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

॥ ईश्वर लाल ॥
संयुक्त सचिव